

[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

सं. 63/2017-सीमा शुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, 30 जून, 2017

का.आ. (अ), सीमा शुल्क, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1) और धारा 5 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 93/2016- सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 1 जुलाई, 2016 जिसे का.आ. 2281 (अ), दिनांक 1 जुलाई, 2016 के तहत प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करता है।

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं. 3 के समक्ष, कॉलम 3 में वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर 'सी सं. VIII/CCP/ICD/ENQ/HCL/112/09/pt/ XII' दिनांक 04.01.2011 को प्रतिस्थापित किया गया है।

[फा.सं. 437/08/2010-सीमा शुल्क IV]

(जेड. आर. कामिली)

निदेशक (सीमा शुल्क)